न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ।

अपील संख्या-50/2017

1- सायर कंवर बेवा सायरसिंह
2- विक्रमसिंह पुत्र सायरसिंह
3- विजयसिंह पुत्र सायरसिंह
4- उगनताकंवर पुत्री सायरसिंह
5- मंजूकंवर पुत्री सायरसिंह

जाति दरोगा निवासी अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1-नन्दूसिंह पुत्र महाबक्तसिंह जाति दरोगा
2- हरिराम पुत्र रूधनाथ जाति जाट

निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

3- रतन पुत्री रामेश्वर
4- सन्तोष पुत्री रामेश्वर
5- सज्जन पुत्री रामेश्वर
6- भंवरकंवर बेवा प्रहलादसिंह
7- भरतसिंह पुत्र प्रहलादसिंह
8- राधाकंवर पुत्री प्रहलादसिंह
9- शंकरसिह पुत्र रामेश्वर
10-गोविन्दसिंह पुत्र रामेश्वरसिंह
11- गोपालसिंह पुत्र रामेश्वरसिंह
12- भावतकंवर बेवा रामेश्वरसिंह
13- किशानसिंह पुत्र महाबक्तसिंह
14- मीराकंवर पुत्री महाबक्तसिंह
15- कुन्ता कंवर पुत्री महाबक्तसिंह
16- सन्तोषकंवर बेवा काना
17- राजेन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह
18- जोगेन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह
19- सतपालसिंह पुत्र मनोहरसिंह
20- रसीला कंवर पुत्री मनोहरसिंह
21- हंसाकंवर पुत्री मनोहरसिंह
22- धापूकंवर पुत्री मनोहरसिंह
23- सरोजकंवर पुत्री मनोहरसिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24- भंवरकंवर बेवा घीसा
25- छीतरमल पुत्र रूघनाथ जाट
26- लिछमणराम पुत्र रूघनाथ जाट
27- रामदेव पुत्र रूघनाथ जाट
28- सुरजमल पुत्र रूघनाथ जाट

समस्त निवासीगण ग्राम अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

29- प्रहलाद पुत्र मूलचन्द जाति बलाई निवासी भगतपुरा अभयपुरा पंचायत समिति पिपराली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

30-रामजीलाल पुत्र हरबक्स जाति जाट निवासी अभयपुरा पंचायत समिति पिपराली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

31- उप पंजीयक पलसाना ।

32- तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर ।

--रेस्पोडेन्टस्--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
11-4-2017 द्वारा सहायक
कलेक्टर(मु0) सीकर ।

--0--

उपस्थिति-

1-श्री महेशकुमार शर्मा एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री सतेशकुमार एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 29.12.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0न0 823/991, 825, 826, 827, 828, 832, 832/893, 833, 839, 840, 841, 842, कुल किता-12 कुल रकबा 7.47 हैक्टर तन ग्राम अभयपुरा पक्षकारान के खाते कब्जे काश्त की भूमिया हैं ।जो संयुक्त खाते कब्जे में दर्ज है । किन्तु प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक है जो इस आराजी को बेचान करने पर आमादा है । प्रार्थीगण अपने हिस्से की

आराजी का बैयान नहीं करना चाहता । किन्तु प्रतिवादीगण इस आराजी में खडे पेड काटकर, रास्ता बनाकर बैयान करने की धमकी दी जिस पर प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र मय दावा पेश किया । प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुये अदालत मातहत ने राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है न्यायालय के समक्ष मूल रूप से वाद विभाजन का है । विभाजन के वाद में राजस्व रेकार्ड में प्रकट किये गये व दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन के वाद में प्रारम्भिक डिक्री पारित की जा सकती थी । किन्तु वाद की विषयवस्तु से अलग जाकर प्रचलित रास्ते जिस पर ग्राम पंचायत के द्वारा राजकीय बजट का उपयोग किया गया है। उसके सन्दर्भ में निषेधाज्ञा पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-। व 2 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में ईंट भटटा बनाने, खनन कार्य करने तथा पेडों को काटने का आरोप लगाया गया किन्तु इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। जबकि विवादित भूमियों के गर्भ में न तो कोई खनिज सम्पदा है और न ही ईंट भटटों के लिये किसी भी पक्षकार के द्वारा सक्षम अधिकारी के यहां कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ।इस प्रकार की कोई साक्ष पत्रावली पर मौजूद नहीं है । रेस्पोडेन्ट संख्या-। व 2 के द्वारा रास्ते के अवरोध को संरक्षित करने के लिये यह झूठा दावा एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है । जिस में अदालत मातहत ने वास्तविक तथ्यों की अनदेखी कर राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश दिये जाने में कानूनी भूल की है । न्यायालय में लम्बित प्रकरण में प्रतिवादी सं0-5 भंवरकंवर बेवा प्रहलादसिंह वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही खत्म हो चुकी थी जिसकी मृत्यु की सूचना न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों पर न्यायालय को मिल चुकी थी । इसके बाद भी न्यायालय में एक मृत व्यक्ति के विधिक वारिसों को रेकार्ड पर लिये बिना एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया है जो प्रारम्भ से ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

से ही शून्य है । अदालत मातहत के समक्ष धारा-251 राज0 काश्तकारी अधि-
-नियम के तहत ग्राम पंचायत के द्वारा ग्रामवासियों के सुखाधिकार को मानते हुए रास्ते के अवरोध को हटाने का आदेश पारित किया गया है । यह आदेश सक्षम न्यायालय में चुनौतिग्रस्त न होते हुये भी अदालत मातहत ने मौके एवं राजस्व रेकार्ड के यथास्थिति का आदेश विधि के विपरित पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर रेस्पो0 सं0-1 व 2 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ।बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर विद्वान अभिभाषकगण समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2070 से 2073 में विवादित आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस् की संयुक्त कब्जा काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है । विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में स्पष्ट किया है कि विवादित आराजी पर न तो कोई खनन कार्य किया जा रहा है और न ही कोई ईंट भटटा स्थापित है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 ने केवल रास्ते को अवरूध कर रखा है । जिसके लिये उप खण्ड अधिकारी दातारामगढ द्वारा धारा-251 का निर्णय कर दिया जिसकी कोई अपील भी आज तक नहीं की गई । रेस्पोडेन्ट ने केवल यह बंटवारा का झूठा दावा पेश कर यह प्रार्थना पत्र गलत आधारो पर पेश कर मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश ले लिये । जबकि उप खण्ड अधिंकारी दांतारामगढ ने अपने निर्णय दिनांक 19-5-2014 में नायब तहसीलदार पलसाना को पुलिस इमदाद के साथ रास्ता चालू करने के आदेश दिये गये थे ।जिसकी पालना केवल अदालत मातहत द्वारा एकपक्षीय अन्तरिम आदेश पारित करने से नहीं हो पाई ।पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी संयुक्त कब्जा काश्त एवं खातेदारी की दर्ज है ।। दावा बंटवारा का पेश किया गया है ।अदालत मातहत ने विवा-

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ... सीकर

पदेन राजस्व अपील ...

-दित आराजी की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश दिया है ।अर्थात विवादित आराजी का जब तक विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता तब तक के लिये अदालत मातहत का आदेश विधि संगत है । बंटवारा से पूर्व आराजी को खुर्द बुर्द करना अथवा अन्य प्रकार से परिवर्तन करना न्यायसंगत नहीं है । अदालत मातहत ने अपना आदेश विधि संगत पारित किया है । जिसमें हम इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर(मु0) सीकर का निर्णय दिनांक 11-4-2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.12.2017 को सुनाया गया ।

(मिश्री लाल बेरड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर